राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 312/2017/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स न्यूक्लीयर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अधिवक्ता. .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.के.पारीक एवं श्याम पारीक, अभिभाषक. .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/09/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 139/वैट/2015–16/कोटा में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,26,896/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 30.12.2015 को वाहन संख्या RJ01-G-9530 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–08 पर जांच हेतु रोका गया। वाहन में परिवहनित माल "Iron Goods Electric/Iron Strips" जो कि पूणे से रावतभाटा (राजस्थान) के लिये परिवहन किया जा रहा था, के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल संबधित दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये गये। जिनकी जांच पर जांच अधिकारी ने पाया कि परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का है एवं माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–47ए एक ही संलग्न है। जांच अधिकारी ने वाहन चालक से पूछने पर वाहन चालक ने बताया कि माल दो पृथक–पृथक वाहनों मे लदान किया गया है इस प्रकार व्यवसायी द्वारा एक ही घोषणा प्रपत्र वैट–47ए से दोनों वाहनों मे प्रयुक्त किये जाने को जांच अधिकारी की धारा 76(2)(बी) का उल्लघंन मानते हुए अभियोग बनाकर प्रकरण सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए व्यवसायी का कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.01.2016 पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी पर शास्ति राशि रूपये 1,26,896/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर

निरन्तर.....2

व्यवसायी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाये पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 17.10.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल "Iron Goods Electric/Iron Strips" के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज की जांच करने पर पाया कि माल के समर्थन में वैट–47ए दिनांक 29.12.2015 का जारीशुदा संलग्न था, जो कि डूप्लीकेट प्रति में सलंग्न था। इस बाबत् जांच अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी से कारण पूछा गया तो उसने बताया कि माल दो पृथक–पृथक वाहनों में लदान किया गया था तथा इनके साथ एक ही वैट–47ए का उपयोग दोनों वाहनों में प्रयुक्त किया गया था। व्यवहारी का यह कृत्य अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का स्पष्ट उल्लघंन था। जिस पर सशक्त अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया था। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलाधीन आदेश का विरोध करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर विद्धान अधिकृत अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा राज्य में 700 मेघावाट का न्यूक्लियर रियेक्टर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिये माल की खरीद केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अध्यधीन कस्टम डयूटी एवम् सेन्ट्रल एक्साइेज से विमुक्ति प्राप्त है व प्रत्यर्थी फर्म को राज्य सरकार द्वारा रिप्स के तहत 100 प्रतिशत कर देयता से विमुक्ति प्राप्त है। उन्होने कथन कि माल का पृथक–पृथक वाहनों में परिवहन करने पर पृथक–पृथक वैट–47ए संलग्न करने की अनिवार्यता की जानकारी उनको नहीं थी। अतः एक ही वैट–47ए का संलग्न करना केवल सदभाविक भूल थी। उन्होंने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में जवाब के साथ दिनांक 05.01.2016 को ऑनलाईन जारी वैट–47ए प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र वैट–47ए को अस्वीकार करके, शास्ति का आरोपण कर विधिक भूल की है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में उन्होंने **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय डी.पी.मेटल्स बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** को उद्धरित करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 का समर्थन कर, अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी फर्म जो कि "भारत सरकार का उपक्रम" है, द्वारा माल का परिवहन दो ट्रको में किया जा रहा था एवं परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी व घोषणा पत्र वैट–47ए भी संलग्न था। परिवहन में विधिक त्रुटि यह थी कि दो ट्रकों में परिवहनित किया जा रहे माल जो दो बिल संख्या 462 व 463 दिनांक का इन्द्राज वैट–47ए

निरन्तर.....3

क्रमांक E47A291215568486 में दर्ज कर दिये गये थे, जिसमें पूरा विवरण दर्ज था। केवल मात्र जानकारी के अभाव में दो वैट–47ए होने के स्थान पर एक ही वैट–47ए जारी किया गया था। माल रोके जाने पर व्यवहारी द्वारा तकनीकी त्रुटि को दुरस्त करते हुए दूसरा प्रपत्र वैट–47ए क्रमांक जनरेट कर सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के साथ प्रस्तुत कर दिया गया था। परन्तु सशक्त अधिकारी मे इसे अस्वीकार करते हुए परिवहनित माल पर कर का अपवंचन मानते हुये अधिनियम का धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण कर दिया। व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ ऑनलाईन जनरेट किया हुआ वैट–47ए प्रस्तुत कर दिया था।

7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिया गया वैट–47ए स्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा नहीं? इस बाबत् व्यवसायी द्वारा उद्धरित **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय डी.पी.मेटल्स बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** में बताया गया है कि यदि व्यवसायी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ वैट–47ए पेश कर दिया जाता है, तो उस पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट, किशनगढ बनाम एसीटीओ (2013) 36 टीयूडी 37 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेलटेक** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों में भी यही धारणा अवधारित की गई है।

8. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

9. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य